न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

सदस्य

निगरानी प्र0 क0 2494 / II / 2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 18 7 2012 - पारित- व्दारा - तहसीलदार हुजूर जिला रीवा - प्र0क0 390/अ 6/10 11

डा0 सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. निर्भयसिंह
मोहल्ला उपरहटी रीवा तहसील हुजूर
जिला रीवा, मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूध्द

1 वृजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. निर्भयसिंह
2 देवेन्द्र सिंह पुत्र स्व. निर्भयसिंह
3- लोकेन्द्र सिंह पुत्र स्व. निर्भयसिंह
तीनों निवासी मोहल्ला उपरहटी रीवा
तहसील हुजूर जिला रीवा, मध्यप्रदेश अनावेदकगण

आवेदक के अभिभाषक श्री विनय कुमार
अनावेदक के अभिभाषक श्री भूपेन्द्रसिंह धाकड़

आदेश

(आज दिनांक 12 6 - 2014 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार हुजूर जिला रीवा व्दारा प्र0क0 390/अ-6/10-11 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18-7-12 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है अनावेदकगण ने तहसीलदार हुजूर जिला रीवा के समक्ष म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम कुढुलिया स्थित भूमि कुल किता 8 कुल रकबा 12.81 ए उनके स्वर्गीय पिता निर्भयसिंह के नाम थी, जिनका देहान्त दिनांक 15.10.10 को हो चुका है उन्होंने अपने जीवनकाल मे वसीयत दिनांक 24.6.2004 लिखी थी , जिसके अनुसार तीनों भाईयों को हिस्सा 1/3

समानुपातिक दिया है इसलिये नामांत्रण किया जावे। तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 390/अ-6/ 10-11 पंजीबद्ध किया एंव सुनवाई प्रारंभ की। सुनवाई के दौरान आवेदक ने इस आशय की आपत्ति दिनांक 29.6.12 को प्रस्तुत की, कि वादित संपत्ति के संबंध में पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 रीवा के न्यायालय में स्वत्व वाद कमांक 138 ए /11 प्रचलित है जिसमें बसीयत निष्प्रभावी घोषित होना है इसलिये व्यवहार न्यायालय के आदेश के निराकरण तक राजस्व न्यायालय की कार्यवाही रोकी जावे। तहसीलदार हजूर ने अंतरिम आदेश दिनांक 18-7-12 पारित किया एंव आवेदक की आपत्ति खारिज कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस पर विचार किया तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष व्दारा प्रस्तुत बहस के तथ्यों एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर वस्तुस्थिति यह है कि सुनवाई के दौरान दिनांक 24 8 11 को आवेदक ने इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की कि बसीयत कूटरचित है एंव मृतक निर्भयसिंह के चार पुत्र है जिनमें आपत्तिकर्ता भी पुत्र है इसलिये उसे पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई की जावे। इसी प्रकार आवेदक व्दारा दिनांक 29.6.12 को तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग रखी कि सिविल न्यायालय रीवा में व्यवहार वाद कमांक 138 ए/2011 मान. पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के यहां कूटरचित बसीयतनामा को शून्य एंव निष्प्रभावी घोषित करने हेतु दावा प्रचलित है, इस वाद के निराकरण तक तहसील न्यायालय की कार्यवाही स्थगित रखी जावे। इस आवेदन पर तहसीलदार ने अंतरिम आदेश दिनांक 18-7-12 से आपत्ति खारिज की एंव प्रकरण साक्ष्य हेतु लगा दिया।

6/ विचार योग्य बिन्दु यह है कि जिस बसीयत के आधार पर अनावेदकगण ने वादग्रस्त भूमि पर नामान्तरण की मांग की है और उसी बसीयत को

कूटरचित होना बताते हुये – बसीयत को शून्य घोषित कराये जाने हेतु व्यवहार न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के निराकरण तक राजस्व न्यायालय की कार्यवाही रोक देना चाहिये अथवा नहीं ? तहसील न्यायालय मे मामला बसीयत के आधार पर नामांत्रण का है और बसीयत कूटरचित होने के आधार पर व्यवहार वाद प्रस्तुत कर बसीयत शून्य घोषित करने का मामला कमांक 138 ए/2011 मान. पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 रीवा के न्यायालय में विचारित है जिसमें दिनांक 23-12-11 को आदेश पारित किया है कि " प्रतिवादीगण को आदेश दिया जाता है कि आगामी तिथ तक वादग्रस्त संपत्ति की स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन व विकय नहीं करेगा।" इस प्रकरण में सरल कमांक 4 पर मध्य प्रदेश शासन प्रतिवादी है और यह आदेश राजस्व विभाग पर भी बंधनकारी है यानि की मृतक निर्भय सिंह व्दारा छोड़ी गई वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का फेरफार अनावेदकगण एंव म0प्र0शासन नहीं करेगा।

7/ बसीयत के संबंध में व्यवहार न्यायालय में बसीयत सही है अथवा गलत है – निर्णय नहीं हो जाता -- बसीयत के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही कर वादग्रस्त भूमि के भू अभिलेख में अथवा भूमि के स्वत्वांतरण में राजस्व न्यायालय को विचार नहीं करना चाहिये, क्योंकि व्यवहार वाद में सरल कमांक-4 पर मध्य प्रदेश शासन पक्षकार है।

(अ) भू राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) धारा 109, 110 एंव उत्तराधिकार अधिनियक 1925 – धारा 63 (ग) -- व्यवहार न्यायालय में बसीयत का सिद्वीकरण, असिद्विकरण लम्बित– विल सावित हो जाने पर ही नामान्तरण पर विचार किया जा सकेगा।

(ब) साक्ष्य अधिनियम की धारा –68 -- विहित रीति में विल सावित किये बिना विल सावित होना नहीं मानी जावेगी।

(स) भू राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) धारा 109, 110 - व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी हैं। बसीयत की संदिग्धता के संबंध में व्यवहार वाद प्रचलित – ऐसी बसीयत के आधार पर राजस्व न्यायालय नामान्तरण कार्यवाही नहीं कर सकता।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार हुजूर व्दारा प्र0क0 390/अ–6/ 10–11 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18–7–12 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि मान. पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 रीवा के न्यायालय में प्रचलित व्यवहार वाद कमांक 138 ए/11 में अंतिम निर्णय होने के पश्चात् तद्नुसार संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत कार्यवाही विचारित की जावे।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मंडल
मध्य प्रदेश ग्वालियर